

श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महोदय,  
गंगापुर सिटी

पत्र 296  
14.7.15

विषय - सम्मानजनक नाम/जाति इन्द्राज हेतु।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी रामकिशोर बाबूलाल शिपठ आत्मज श्री पन्ना  
जाति कैरवा ग्राम उडादेव का निवासी है। ग्राम उडादेव B  
की जमाबन्दी में खाता संख्या 462 पर प्रार्थी का नाम/जाति रामार दर्ज है। जो  
मुझे/हमें सम्मानजनक नहीं लगता है। अतः मेरा/हमारा/नाम/मेरी/हमारी/जाति रामार के  
स्थान पर कैरवा करने का कष्ट करे।

प्रार्थी

नाम .....  
पिता का नाम .....  
जाति ..... निवासी .....

 रामार


रिपोर्ट पटवारी दिनांक 14.7.15

प्रार्थी रामकिशोर बाबूलाल शिपठ पुत्र पन्ना के प्रार्थना पत्र पर मजमें आम में जानकारी  
ली गई है। इस त्वाबत प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र व पहचान हेतु दस्तावेज पेश किये हैं। जिसके अनुसार प्रार्थी को .....  
नाम/जाति से पुकारा जाता है। प्रार्थी का नाम/जाति रामार  
के स्थान पर कैरवा करने में किसी ने भी आपत्ति नहीं जतायी है। अतः प्रार्थी का नाम/जाति रामार  
के स्थान पर उसका नाम/जाति कैरवा करना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त

रामार  
14.7.15

पटवारी हस्ताक्षर



कार्यालय तहसीलदार (भू अभिलेख) गंगापुर सिटी

क्रमांक :- भूअ./ रा लो अ/2015/

दिनांक :- 14.7.15

रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू अभिलेख निरीक्षक अनुसार प्रार्थी रामकिशोर बाबूलाल शिपठ  
आत्मज पन्ना जाति कैरवा निवासी उडादेव के  
खाते 462 ग्राम उडादेव B के नाम दर्ज नाम/जाति रामार के स्थान  
पर कैरवा शुद्ध करने की अनुराधा की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ.)  
गंगापुर सिटी  
गंगापुर सिटी  
कैम्प उडादेव

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी

क्रमांक :- राजस्व/ रा लो अ/2015

दिनांक :-

स्वीकृति आदेश

तहसीलदार गंगापुर सिटी की अनुराधा परं प्रार्थी श्री रामकिशोर बाबूलाल शिपठ पुत्र श्री पन्ना  
जाति कैरवा निवासी उडादेव का नाम/जाति राजस्थान भू राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अन्तर्गत रामार के स्थान पर कैरवा शुद्ध करने की स्वीकृति  
दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर सिटी  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी  
कैम्प उडादेव

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प उदेई कलौ

## -:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उदेई कलौ भू.अ.नि. गंगापुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उदेई कलौ ब तहसील गंगापुर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत 2069-72 में खाता संख्या 462 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

कं. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जानी है)
1	उदेई कलौ ब	462	रामकिशोर बाबूलाल श्रवण पि. पन्ना जाति चमार	रामकिशोर बाबूलाल श्रवण पि. पन्ना जाति बैरवा ( खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी )



(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापुर सिटी

दिनांक:- 14 जुलाई 2015

क्रमांक:- 1066-68

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार गंगापुर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामकिशोर पुत्र पन्ना नि. उदेईकलौ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।




(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापुर सिटी